राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

क्रमांक::–जनसुनवाई /2024/326 दिनांक :–13.02.2024

प्रेषितः–

तहसीलदार
बाड़मेर ग्रामीण

विषयः– आवागमन हेतु रास्ता दिलवाने बाबत्।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–जनसुनवाई/2024/225 दिनांक–08.02.2024।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि प्रार्थी श्री पदमाराम पुत्र पूनमाराम निवासी रावतसर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम रावतसर के खसरा संख्या 1770/181 में में से रास्ता खुलवाने हेतु आप द्वारा पुलिस बल की मांग की गई थी। अतः पुलिस बल की सहायता से उक्त रास्ता खोलने हेतु निर्धारित तिथि नियत कर रास्ता खुलवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक :–13.02.2024

क्रमांक::–जनसुनवाई /2024/329

प्रतिलिपिः–उप अधीक्षक पुलिस वृत बाड़मेर को प्रेषित कर लेख हैं कि ग्राम रावतसर के खसरा संख्या 1770/181 में से आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाएं।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

"निर्णय"

3/10/23 पत्रावली पेश हुई।
वकील प्रार्थी उप० एवं विप्रार्थी सं. 01 से 03 के वकील भी उप०। शेष विप्रार्थीगण के सम्मन तामिल, कोई हाजिर नहीं। प्रार्थी देवाराम की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है।

वकील प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मौजा बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 3715/725 के रकबा 0.1376 हैक्टेयर व खसरा सं. 724 रकबा 4.5487 हैक्टेयर व खसरा सं. 532 रकबा 0.7284 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के आबगी खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा लगातार एवं निर्बाध रुप से चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत के चारों तरफ कदीमी मार्ग स्थित है, उस पर पेड़-पौधे वर्षों पुराने लगे हुए हैं। प्रार्थी ने अपने कब्जे काश्त की भूमि पर चारों तरफ चीणे रोपकर तारबंदी की हुई है। विप्रार्थी सं. 01 से 06 व उसके परिवार वाले झगड़ालु प्रवृति के व्यक्ति होने के विवादग्रस्त भूमि के सेढ़े

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

को जबरदस्ती तोड़कर प्रार्थी के खातेदारी
की भूमि पर जबरदस्ती अवैध रूप से
कब्जा करना चाहते हैं। वर्तमान में
प्रार्थी की भूमि की कीमतों में आई
अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अप्रार्थीगण
प्रार्थी के खेत व कदीमी मार्ग को
तोड़कर प्रार्थी की भूमि पर अवैध
कब्जा कर निर्माण करने व काश्त
करने का प्रयास कर रहे हैं, लिहाजा
प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष
में है तथा सुविधा का संतुलन भी
प्रार्थी के पक्ष है। यदि अप्रार्थीगण
प्रार्थी के हक-हिस्से या वादग्रस्त
भूमि पर निर्माण अथवा प्रार्थीगण
को उसके कब्जे-काश्त की भूमि
से वंचित कर अनाधिकृत कब्जा करने
में सफल होते हैं तो प्रार्थीगण को
अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति
भविष्य में संभव नहीं है, लिहाजा
मौजा बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर
ग्रामीण के खेत खसरा संख्या
3715/725 के रकबा 0.1376 हैक्टेयर
व खसरा सं. 724 रकबा 4.5487
हैक्टेय तथा खसरा सं. 532 रकबा
0.7284 हैक्टेयर भूमि में विप्रार्थी सं.
01 से 06 मौके की यथास्थिति बनाए
रखें। तथा प्रार्थी के पक्ष में व अ-

हस्ताक्षर
सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन, कच्चा-पक्का निर्माण कार्य नहीं करें।	
अप्रार्थीगण 01 से 03 की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण 01 से 03 ने बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं. 01 से 03 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में कोई कब्जा कारित नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उनकी स्वयं की भूमि में कब्जा कारित है। प्रार्थी द्वारा अपने स्वयं की भूमि की माडें तोड़ी हुई हैं तथा अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में कब्जा करने की कोशिश की जा रही है इसलिए प्रार्थीगण को भी वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाए।	
उपर्युक्त विवेचनोपरान्त तथा पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 01 से 06 सेढा पड़ौसी है तथा दोनों के मध्य सेढों को लेकर विवाद है। यदि उभय पक्ष को वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद	

सहायक कलेक्टर (SDO), बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ...ी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री समदरसिं... ...ए.एस

क्रमांक रीडर / 2023 /

दिनांक –

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मानाराम पुत्र पेमाराम 2 गजाराम 3 घमण्डाराम 4 पूनमाराम 5 वीराराम 6 हीराराम 7 हेमाराम पिसरान मुकनाराम 8 सायरो पत्नी मुकनाराम 9 पांची पत्नी पेमाराम 10 सुखाराम पुत्र पेमाराम जाति भील निवासी चवा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।		1 सुरजाराम पुत्र लिक्ष्मणाराम 2 देवाराम पुत्र मगाराम 3 सवाईराम पुत्र गंगाराम 4 गेनाराम पुत्र खेताराम 5 गुमनाराम पुत्र हरखाराम 6 छोगाराम पुत्र नानगाराम 7 पूराराम पुत्र शंकराराम जाति भील 8 रमजान खां पुत्र पेमा खां जाति तेली 9 रावताराम पुत्र लाखाराम 10 देवाराम पुत्र रावताराम 11 सवाईराम पुत्र नेनाराम जाति नाई 12 सुआदेवी पत्नी बाबुलाल जाति सोनी निवासी चवा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 197 / 2023 दिनांक–

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण **मौजा चवा पटवार क्षेत्र चवा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 212 रकबा 0.0567 हैक्टेयर, खसरा संख्या 953 / 213 रकबा 16.7297 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1131 / 246 रकबा 4.3868 हैक्टेयर भूमि** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस / पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500 / – अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक–

क्रमांक :– रीडर / 2023 /

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चवा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मानाराम पुत्र पेमाराम वगैराह जाति भील निवासी चवा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी सुरजाराम पुत्र लिक्ष्मणाराम वगैराह जाति भील निवासी चवा तहसील बाडमेर जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर